न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 45 / 2021 **दायर दिनांकः 20 / 09 / 2021**

उनवान

1. ताराचन्द आयु 35 वर्ष पुत्र कन्हैयालाल जाति किराड निवासी कराडिया हाडा पोस्ट किशनपुरा तहसील अटरू जिला बारां (राज०)।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, तहसील अटरू जिला बारां राज0।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थिति :—
प्रार्थीः— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

आदेश दिनाकः 25 / 04 / 2022

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल कराडिया हाडा पटवार हल्का किशनपुरा तहसील अटरू जिला बारां की आराजी खाता संख्या 150 का ख0नं0 328 का रकबा 1.59 है0, ख0 नं0 330 का रकबा 0.53 है0, ख0नं0 331 का रकबा 0.53 है0 कुल किता 3 का रकबा 2.65 है0 आराजी प्रार्थी एवं अन्य सहखातेदारान के दर्ज खाता स्थित है जिसमें प्रार्थी का 1 / 3 दर्ज खाता स्थित है। नवीन नकल जमाबन्दी संवत 2074—2077 साथ में संलग्न है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में आपके अधिनस्थ कर्मचारियों द्वारा प्रार्थी का नाम ताराचन्द के स्थान पर रघुनन्दन गलत दर्ज कर दिया। प्रार्थी के दस्तावेजों आधार कार्ड, राशनकार्ड, पहचान पत्र, 10वी की अंकतालिका, ग्राम पंचायत किशनपुरा के प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का सही नाम ताराचन्द दर्ज है। इसलिए प्रार्थी का नाम रघुनन्दन पुत्र कन्हैयालाल के स्थान पर सही नाम ताराचन्द पुत्र कन्हैयालाल दर्ज किया जावे। बिना सहायता न्यायालय प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम रघुनन्दन के स्थान पर सही नाम ताराचन्द दर्ज करवाया जाना संभव

नहीं है। अगर प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम सही दर्ज नहीं किया गया तो प्रार्थी का नाम सही दर्ज नहीं किया गया तो प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी तथा अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पडेगा अस्तु प्रार्थी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम रघुनन्दन के स्थान पर सही नाम ताराचन्द दर्ज किया जावे। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें। अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम रघुनन्दन पुत्र कन्हैयालाल के स्थान पर सही नाम ताराचन्द पुत्र कन्हैयालाल दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई, अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने के कारण जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया। साक्ष्यवादी के तहत pw1 ताराचन्द पुत्र कन्हैयालाल जाति किराड निवासी कराडिया हाडा का शपथ पत्र पेश किया गया तथा शपथ बयान लेखबद्ध किये गये गये। ताराचन्द द्वारा अपने शपथ बयानों में बताया कि ग्राम कराडिया हाडा की खाता संख्या 150 की कुल किता 3 रकबा 2.65 है0 आराजी में मेरा नाम रघुनन्दन पुत्र कन्हैयालाल दर्ज हो गया है जो गलत है मेरा सही नाम ताराचन्द पुत्र कन्हैयालाल है जो मेरे अन्य सभी दस्तावेजों में अंकित है। pw2 हरिराम पुत्र किशनलाल का शपथ पत्र पेश किया गया और शपथ बयानों में बताया कि कराडिया हाडा की खाता संख्या 150 की कुल किता 3 रकबा 2.65 है0 आराजी मेरे व अन्य सहखातेदारों के दर्ज खाता स्थित है जिसमें सहखातेदार रघुनन्दन पुत्र कन्हैयालाल का नाम दर्ज है जो गलत है इनका सही नाम ताराचन्द पुत्र कन्हैयालाल दर्ज किया जावे। pw3 दिनेश कुमार पुत्र हुकमचन्द का शपथ पत्र पेश किया गया जिसने अपने शपथ बयानों में बताया कि कराडिया हाडा की खाता संख्या 150 की कुल किता 3 रकबा 2.65 है0 आराजी शामलाती खाते दर्ज है जिसमें आपके अधिनस्थ कर्मचारियों द्वारा प्राथी ताराचन्द के स्थान पर रघुनन्दन गलत दर्ज कर दिया है जिसे दुरूस्त कर ताराचन्द पुत्र कन्हैयालाल दर्ज किया जावे।

3. अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी, अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी

का नाम रघुनन्दन पुत्र कन्हैयालाल के स्थान पर सही नाम ताराचन्द पुत्र कन्हैयालाल दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

4. उपलब्ध रिकार्ड एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत ग्राम कराडिया हाडा की जमाबन्दी संवत 2074–2077 के खाता संख्या 150 किता 3 रकबा 2.65 है0 भूमि में सहखातेदार प्रार्थी का नाम के रूप में रघुनन्दन पुत्र कन्हैयालाल हिस्सा 1/3 दर्ज रिकार्ड है। अन्य दस्तावेज मतदाता पहचान पत्र (प्रदर्श 2ए) में प्रार्थी का नाम ताराचन्द उर्फ रघुनन्दन पुत्र कन्हैयालाल, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की माध्यमिक परीक्षा 2004 का प्रवेश पत्र (प्रदर्श 3ए) में ताराचन्द मेहता पुत्र कन्हैयालाल मेहता, आधार कार्ड रसीद (प्रदर्श 4ए) में ताराचन्द उर्फ रघुनन्दन, कक्षा 9 की अंकतालिका प्रदर्श 5ए) वर्ष 2003 में प्रार्थी का नाम ताराचंद मेहता पुत्र कन्हैयालाल मेहता अंकित है। आधार कार्ड प्रदर्श 6ए) में ताराचन्द पुत्र कन्हैयालाल दर्ज है। ग्राम पंचायत किशनपुरा का प्रमाण पत्र प्रदर्श 7ए) दिनांक 12.04.2022 अनुसार ताराचन्द पुत्र कन्हैयालाल और रघुनन्दन पुत्र कन्हैयालाल दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है।

5. रिकार्ड एवं साक्ष्य के आधार पर प्रार्थी का सही नाम दर्ज किया जाना उचित होगा। अतः न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल. आर. एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल कराडिया हाडा पटवार हल्का किशनपुरा तहसील अटरू जिला बारां की आराजी खाता संख्या 150 का ख0नं0 328 का रकबा 1.59 है0, ख0 नं0 330 का रकबा 0.53 है0, ख0नं0 331 का रकबा 0.53 है0 कुल किता 3 का रकबा 2.65 है0 में सहखातेदार रघुनन्दन पुत्र कन्हेयालाल के स्थान पर ताराचन्द उर्फ रघुनन्दन पुत्र कन्हैयालाल दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

निर्णय आज दिनांक 25.04.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां